-: विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहे।
2. अपना परिचय-पत्र सदैव अपने पास संभालकर रखें। यह आपके नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण है।
3. महाविद्यालय परिसर मे धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना दण्डनीय अपराध हैं।
4. महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्रा उत्पीडन (Ragging) करना एवं इस कार्य मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त रहना न केवल
महाविद्यालय की गरिमा व व्यवस्था के प्रतिकूल है बल्कि यह दण्डनीय अपराध भी है।
महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए मोबाइल लाने पर प्रतिबंध है।
5. महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता बनाये रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। दीवारे गन्दी न करें।
6. महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता बनाये रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। दीवारे गन्दी न करें।
राज्य सरकार के आदेशानुसार 75% प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थी के रूप मे परीक्षा में बैठने की अनुमति नही होगी।
7. किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता तथा अनुशासनहीनता दण्डनीय अपराध हैं।
8. परिसर में पूर्ण अनुशासन तथा शान्ति बनाये रखें।
9. विद्यार्थी अपने वाहन निर्धारित स्टैंड पर ही रखें।
10. नियमित छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का महाविद्यालय में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित हैं।
11. महाविद्यालय में सभी प्रकार की सूचनाएं सूचना-पट्ट के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं।
12. समय-समय पर आयोजित शैक्षिक, सह शैक्षणिक, शिक्षणेतर, खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे उत्साह पूर्वक भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करें।
13. गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना आपका नैतिक कर्त्तव्य है, इसी प्रकार महाविद्यालय के अन्य कर्मचारियो के साथ
सज्जनता का व्यवहार रखें।